

न्यूज टुडे

टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, 2024' रिपोर्ट जारी की गई

यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण होने वाले बड़े वित्तीय नुकसान और वैश्विक स्तर पर कर संबंधी सुधारों को उजागर करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

➤ वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण देशों को प्रति वर्ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है।

⊕ इसमें से दो-तिहाई (347.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता है। ये कंपनियां अपने लाभ को ऐसे देशों में स्थानांतरित करती हैं, जहां कर दरें बहुत कम होती हैं, ताकि कम कर का भुगतान करना पड़े।

⊕ शेष एक-तिहाई (144.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान उन धनी व्यक्तियों के कारण होता है, जो अपनी संपत्ति को विदेशों में छुपाते हैं।

➤ 43% नुकसान निम्नलिखित आठ प्रमुख OECD सदस्य देशों के कारण होता है, जो यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन का विरोध कर रहे हैं:

⊕ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजरायल, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, और अमेरिका।

➤ निरपेक्ष रूप से ग्लोबल नॉर्थ के देशों को सबसे ज्यादा कर राजस्व का नुकसान होता है, जबकि ग्लोबल साउथ के देशों को अपने कुल कर राजस्व के सबसे बड़े हिस्से का नुकसान होता है।

⊕ इस प्रकार की कर हानि के परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सीमित होती है; देशों के बीच असमानता बढ़ती है; तथा घरेलू कारोबार सीमित हो जाता है।

इस रिपोर्ट में की गई नीतिगत सिफारिशें

➤ यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन को अपनाना चाहिए। यह वैश्विक स्तर पर समावेशी अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों की स्थापना करेगा। साथ ही, यह सीमा-पार कर चोरी को रोकेगा और प्रगतिशील राष्ट्रीय कराधान को बहाल भी करेगा।

⊕ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर 2025 में वार्ता शुरू की जाएगी और 2027 में संपन्न होगी।

➤ अतिरिक्त लाभ और संपत्ति पर कर लगाने से आर्थिक असमानता कम तथा एकाधिकार की शक्ति सीमित हो सकती है। साथ ही, इससे समाज से सबसे अधिक लाभ कमाने वाले लोगों द्वारा सामाजिक कल्याण में आनुपातिक रूप से योगदान सुनिश्चित हो सकता है।

वैश्विक कर सुधार

➤ आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) नीति: इसमें कॉर्पोरेट मुनाफे पर 15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर लगाने का प्रावधान किया गया है।

➤ OECD की आधार क्षरण और लाभ साझाकरण (BEPS) कार्य योजना: यह कर की चोरी से निपटने के लिए सरकारों को साधन उपलब्ध कराती है।

➤ OECD का कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS): यह वित्तीय खातों के बारे में सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान की सुविधा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट (2024-25) जारी की

यह विश्व भर में वेतन की प्रवृत्तियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। साथ ही, वेतन संबंधी असमानता और वास्तविक वेतन वृद्धि में परिवर्तन को भी उजागर करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

➤ वेतन वृद्धि संबंधी रुझान

⊕ वैश्विक स्तर पर: 2022 में गिरावट के बाद, 2023 में वैश्विक वास्तविक वेतन वृद्धि बहाल हुई है।

⊕ क्षेत्रीय स्तर पर: शेष विश्व की तुलना में एशिया व प्रशांत, मध्य और पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी यूरोप में औसत वेतन तेजी से बढ़ रहा है।

◆ लगभग 9.5% भारतीय कामगार कम वेतन पाने वाले कामगार हैं।

➤ श्रम संबंधी आय असमानता के रुझान

⊕ वेतन असमानता: कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर इसमें गिरावट का रुझान देखा गया है।

◆ हालांकि, यह निम्न आय वाले देशों में सबसे अधिक है और उच्च आय वाले देशों में सबसे कम है।

⊕ अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: वेतन वितरण के निचले स्तर पर महिलाओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व अधिक है।

◆ औपचारिक रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से न बढ़ने के कारण अनौपचारिक रोजगार में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

➤ श्रम उत्पादकता (1999-2024): उच्च आय वाले देशों में यह वास्तविक वेतन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है।

आगे की राह

➤ अनुसंधान में वृद्धि: असमानता में परिवर्तन को मापने और उसका अनुमान लगाने के लिए बेहतर डेटा एवं सांख्यिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।

➤ वेतन में असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां: वेतन को आर्थिक कारकों के साथ-साथ कामगारों और उनके परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही, वेतन संबंधी मानक लैंगिक समानता, समता और गैर-भेदभाव को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।

➤ कर और सामाजिक हस्तांतरण के माध्यम से आय का पुनर्वितरण: इसे ऐसी नीतियों के साथ लागू किया जाना चाहिए जो उत्पादकता, गरिमापूर्ण कार्य और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने को बढ़ावा देती हो।

क्या आप जानते हैं?

पाल्मा अनुपात असमानता मापने का एक तरीका है। इसमें वेतन के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी के प्रति घंटा कुल वेतन को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी के प्रति घंटा कुल वेतन से विभाजित किया जाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) धोखाधड़ी के मामलों में 85% की वृद्धि दर्ज की गई

2022-23 से, UPI से जुड़ी धोखाधड़ी के 2.7 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कुल लगभग 2,100 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।

UPI के यूजर्स की संख्या और कुल लेन-देन बढ़ने के साथ ही इससे जुड़ी धोखाधड़ी की संख्या भी बढ़ रही है।

डिजिटल या UPI लेन-देन और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या

- वित्त वर्ष 2024 में, UPI के जरिए संख्या के मामले में 131.12 बिलियन लेन-देन किए गए जिनका कुल मूल्य 200 ट्रिलियन रुपये था। वर्तमान में, 400 मिलियन से अधिक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग करते हैं।
- RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 की तुलना में 2023-24 में वित्तीय धोखाधड़ी में 166% की वृद्धि दर्ज की गई है।

डिजिटल लेन-देन के समक्ष चुनौतियां

- साइबर-सुरक्षा: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार पिछले तीन वर्षों में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी का आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ रुपये का रहा है।
- थर्ड पार्टी जोखिम: यह खतरा इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर एकाधिकार रखने वाले या डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने वालों से हो सकता है।
- डिजिटल साक्षरता का अभाव: शहरों की 37.1% आबादी इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 13% है।
- अन्य चुनौतियां: डिजिटल अवसरचनानों की कमी है, अलग-अलग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के बीच समन्वय का अभाव है, आदि।

UPI से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रकार

- फिशिंग अटैक: यह धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका है। इसके तहत साइबर अटैकर यूजर्स को लुभाने के लिए फिशिंग ईमेल, मैसेज आदि भेजते हैं।
- मैलवेयर अटैक: स्मार्टफोन दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की चपेट में आ जाते हैं। इससे UPI लेन-देन असुरक्षित हो जाता है।
- सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड: इसके तहत धोखेबाज, यूजर्स के भरोसे का फायदा उठाते हैं, और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी करते हैं या भय पैदा करते हैं।
- विशिंग या वॉयस फिशिंग: धोखेबाज लोग कॉल के जरिये स्वयं को बैंक अधिकारी या UPI सेवा प्रदाता बताकर उपयोगी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं।

साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए पहलें

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना: इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध की घटनाओं से निपटना है।
- इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसांस टीम (CERT-In): यह कंप्यूटर की सुरक्षा में सेंध लगने पर जवाबी कार्रवाई करने वाली भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।
- साइबर स्वच्छता केंद्र: यह बॉटनेट संक्रमण का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने पर केंद्रित है।

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने से प्रतिबंधित करने वाला दुनिया का पहला कानून पारित किया

नए कानून में कानून के तहत, टिकटॉक, मेटा जैसी तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना होगा, अन्यथा उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

साथ ही, उन्हें सोशल मीडिया की लत से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सामाजिक जिम्मेदारी तय करनी होगी।

बच्चों में सोशल मीडिया की लत की वजहें

- सोशल मीडिया द्वारा मस्तिष्क के रिवॉई सर्किट का दुरुपयोग: सोशल मीडिया नशे की लत जैसी मानसिक स्थिति का निर्माण करता है। यह डोपामाइन उत्प्रेरण के माध्यम से सोशल मीडिया से निरंतर जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है।
- वास्तविक जीवन में सच्चे भावनात्मक संबंधों की कमी: सच्चे वैयक्तिक संबंधों के विकल्प के रूप में किशोर सोशल मीडिया का रुख करते हैं।

सोशल मीडिया की लत के दुष्प्रभाव

- स्क्रीन टाइम का बढ़ना: डिजिटल माध्यमों पर अधिक समय देने के कारण बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। अब ऑनलाइन इंटरेक्शन ने शारीरिक गतिविधियों की जगह ले ली है।
- इससे वास्तविक जीवन के रिश्तों और सामाजिक कौशल का क्षरण होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही, बच्चों में "पीछे छूट जाने का डर" हावी हो सकता है।
- कार्य उत्पादकता में कमी और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन: अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से स्कूल वर्क, खेल, पढ़ाई जैसी कई गतिविधियों के लिए समय कम पड़ जाता है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव: सोशल मीडिया जगत की आदर्श छवियों से जुड़ी उपलब्धियों के लगातार प्रभाव में आने से अवास्तविक अपेक्षाएं जन्म ले सकती हैं।

इससे साइबर-बुलिंग, आत्मसम्मान की कमी, फोकस और एकाग्रता की कमी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से मस्तिष्क के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा अवसाद, नींद नहीं आना, खाने की आदतों में बदलाव जैसे विकार पैदा हो सकते हैं।

नुकसानदेह कंटेंट के प्रभाव में आना: जैसे कि आत्महत्या करने, स्वयं को नुकसान पहुंचाने और चरम विचारों वाले कंटेंट के प्रभाव में आने का खतरा बढ़ जाता है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का नकारात्मक प्रभाव

- बच्चे सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों से वंचित हो सकते हैं: बच्चे डिजिटल क्षमता व सामाजिक एकीकरण, रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं सहयोग आधारित लर्निंग, अभिरुचि-आधारित नेटवर्किंग जैसे अवसरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे, आदि।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध की वजह से बच्चे डार्कवेब जैसे असुरक्षित इंटरनेट नेटवर्क के जाल में फंस सकते हैं।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का वैकल्पिक तरीका

- कुछ निश्चित आयु समूह के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं से प्रतिबंध लगाना: फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने और इंस्टाग्राम ने 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए अकाउंट खोलना प्रतिबंधित कर रखा है।
- प्रौद्योगिकी-आधारित टूल्स और एप्लीकेशंस को एकीकृत करना: इससे सोशल मीडिया के लाभकारी उपयोग को बढ़ावा मिलता है।
- सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को अपनाना: केरल पुलिस के डिजिटल डी-एडिक्शन (D-DAD) केंद्र डिजिटल मीडिया के आदी हो गए बच्चों को निःशुल्क परामर्श प्रदान करते हैं।

खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉक्स की नीलामी की पहली किस्त शुरू की

यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के भीतर देश के व्यापक अपतटीय खनिज संसाधनों की खोज में एक बड़ा कदम है।

अपतटीय खनन नीलामी का मुख्य विवरण

- ❖ खनिज ब्लॉक्स: नीलामी में अरब सागर और अंडमान सागर में मौजूद 13 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं।
- ❖ खनिजों के प्रकार और संबंधित क्षेत्र: निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली रेत (केरल व अरब सागर के तटों के निकट); चूना-मिट्टी (गुजरात व अरब सागर के तटों के निकट); पालीमेटेलिक नोड्यूल्स और क्रस्ट्स (ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं अंडमान सागर के तट के निकट) आदि शामिल हैं।

अपतटीय खनन या गहरे समुद्र में खनन

- ❖ इसमें गहरे समुद्र नितल से 200 मीटर से अधिक की गहराई पर खनिज भंडार का खनन किया जाता है।
- ❖ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GIS) ने अपतटीय खनन की क्षमता वाले लगभग छह लाख वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र की पहचान की है।

भारत के लिए अपतटीय खनन का महत्त्व

- ❖ भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ भू-तत्व शामिल हैं, जो किसी देश के विकास के लिए आवश्यक हैं।
- ❖ अपतटीय खनन से खनिजों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण खनिजों में देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके अलावा, इससे भारत की नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
- ❖ ये खनिज अवसंरचना के विकास, उच्च तकनीकी विनिर्माण और ग्रीन एनर्जी ट्रांजीशन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अपतटीय खनन में चुनौतियां

- ❖ निजी भागीदारी का अभाव;
- ❖ अत्यधिक कुशल श्रम और पूंजी की आवश्यकता; तथा
- ❖ पर्यावरणीय चुनौतियां, जैसे- पर्यावास का विनाश, समुद्री पारिस्थितिकी-तंत्र में व्यवधान आदि।

अपतटीय खनन के लिए उठाए गए कदम

- ❖ नेशनल जियोलॉजिकल डेटा रिपॉजिटरी (NGDR) पोर्टल: यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो GIS के माध्यम से भूवैज्ञानिक अन्वेषण डेटा प्रदान करता है।
- ❖ डीप ओशन मिशन: इस मिशन का उद्देश्य पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स का पता लगाना और उनका निष्कर्षण करना है।
- ❖ अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों का अस्तित्व) नियम, 2024: इनके तहत अन्वेषण के चरणों तथा खनिज संसाधनों एवं भंडार के वर्गीकरण को परिभाषित किया गया है।

देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है

जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है।

- ❖ यह दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान और भारत की विरासत को संरक्षित करने में उनकी भूमिका का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।

विरासत संरक्षण में आदिवासियों की भूमिका

❖ सांस्कृतिक विरासत

- ❖ मौखिक परंपराएं और कहानी सुनाना: उदाहरण के लिए- "यू सीयर लापालांग" (द स्टैग ऑफ लापालांग) की कहानी खासी और पनार जनजातियों के बीच एक प्रसिद्ध लोककथा है। यह कहानी मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध तथा प्रकृति के प्रति आदिवासियों की श्रद्धा को उजागर करती है।
- ❖ विविध अनुष्ठानों, त्यौहारों और समारोहों के वाहक: उदाहरण के लिए- नागाओं के बीच हॉर्नबिल महोत्सव का उद्देश्य नागालैंड की अनूठी सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध परंपराओं का संरक्षण करना है।
- ❖ पारंपरिक शिल्प और कला रूप: उदाहरण के लिए- वरली जनजातियों द्वारा बनाई गई वरली चित्रकारियां मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाती हैं।
- ❖ पारंपरिक चिकित्सा: उदाहरण के लिए- आदिवासी लोगों को अलग-अलग पादपों के औषधीय गुणों के बारे में काफी जानकारी होती है। इस जानकारी का इस्तेमाल वे लोग हड्डी टूटने, सांप के काटने, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, सिरदर्द और शरीर की सूजन आदि के इलाज के लिए करते हैं।

❖ जैव विविधता संरक्षण

- ❖ संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण: उदाहरण के लिए, बिलिगिरि रंगास्वामी मंदिर (BRT) वन्यजीव अभयारण्य (कर्नाटक) में सोलिगस जनजातियां वन पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती हैं।
- ❖ पवित्र प्राकृतिक स्थल: जादुई-धार्मिक विश्वास के कारण आदिवासियों द्वारा पेड़-पौधों को उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है, क्योंकि वे उन्हें देवी-देवताओं, या पूर्वजों का निवास स्थान मानते हैं। उदाहरण के लिए- खासी जनजाति द्वारा मावफलांग पवित्र वन को 800 वर्षों से संरक्षित किया जा रहा है। खासी लोग इस जगह को देवता लाबासा का निवास स्थान मानते हैं।
- ❖ वन्यजीव संरक्षण प्रथाएं: उदाहरण के लिए बिश्रोई समुदाय के लोग काले हिरण, चिंकारा जैसे जीवों की रक्षा करते हैं।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- ❖ जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs) को समर्थन: इसके तहत जनजातीय भाषाओं, परंपराओं और औषधीय प्रथाओं पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ❖ ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड/ TRIFED): यह संस्था जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन सेवाएं प्रदान करती है।
- ❖ प्रधान मंत्री वन धन योजना: इसका उद्देश्य जनजातीय ज्ञान को एक व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में बदलना है। इसके लिए प्रौद्योगिकी उपायों और आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल का उपयोग किया जा रहा है।

अन्य सुर्खियां



ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय "ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम" का क्रियान्वयन कर रहा है।

- ❖ इस स्कीम का उद्देश्य दुनिया भर में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है।

ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम के बारे में

- ❖ इसे पहले 'अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध संवर्धन योजना' कहा जाता था।

❖ ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम के निम्नलिखित तीन घटक हैं:

- ❖ भारत महोत्सव (Festival of India): इसे दो देशों के लोगों के बीच संपर्क और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में आयोजित किया जाता है।
- ❖ सहायता अनुदान: इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटीज स्कीम को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।
- ❖ अंशदान अनुदान: ICROM, यूनेस्को, विश्व विरासत निधि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के रूप में भारत वित्तीय अंशदान देता है। इसके अलावा, भारत इनकी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेता है या देश में इनकी बैठकों का आयोजन करता है।



डिजिटल भारत निधि

संचार राज्य मंत्री ने राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में डिजिटल भारत निधि के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

डिजिटल भारत निधि के बारे में

- ❖ पहले इस निधि को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्बिगेशन फंड (USOF) के नाम से जाना जाता था।
- ❖ स्थापना: इसकी स्थापना भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत के गई है।
- ❖ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्बिगेशन (USO) के तहत भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार इसकी स्थापना हुई है।
- ❖ कार्य/ उद्देश्य: दूरसंचार सेवाओं से वंचित ग्रामीण, रिमोट और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की पहुँच और वितरण को बढ़ावा देकर यूनिवर्सल सर्विस का लक्ष्य प्राप्त करना।
- ❖ विभाग: यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) के अंतर्गत आने वाली एक पहल है।
- ❖ अध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी।



धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी धर्म में सच्ची आस्था के बिना केवल आरक्षण का लाभ उठाने के लिए किया गया धर्मांतरण “संविधान के साथ धोखाधड़ी” है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु:

- सी. सेल्वरानी बनाम विशेष सचिव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत “अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता” का मूल अधिकार है।
- यदि धर्मांतरण किसी धर्म में सच्ची आस्था की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद सादिक बनाम दूरबारा सिंह गुरु मामले में कहा था कि कोई व्यक्ति अपना धर्म और आस्था बदल सकता है, लेकिन अपनी जाति नहीं बदल सकता, क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है।



एकलव्य प्लेटफॉर्म

इंडियन आर्मी ने ‘एकलव्य’ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

- इसका उद्देश्य इंडियन आर्मी के वर्ष 2024 की थीम “प्रौद्योगिकी अपनाने का वर्ष” के अनुरूप सेना के अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है।

एकलव्य प्लेटफॉर्म के बारे में

- इसे हेडक्वार्टर्स आर्मी ट्रेनिंग कमांड के तत्वावधान में विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की प्रायोजक एजेंसी आर्मी वॉर कॉलेज है।
- इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर स्थित “भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N)” द्वारा विकसित किया गया है। इसे विकसित करने में सूचना प्रणाली महानिदेशालय ने भी सहायता की है।
- एकलव्य प्लेटफॉर्म के निम्नलिखित लाभ हैं:
 - पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण का आधुनिकीकरण करना,
 - ऐसी लचीली और विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना जो पारंपरिक कोर्स की जटिलता को कम करती हो।



K-4 मिसाइल

भारत ने परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात से K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

K-4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में

- प्रकार: यह परमाणु-सक्षम और सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) है।
 - इसे अंडरवाटर प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- विकास: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
- रेंज: 3,500 कि.मी.
- महत्व: इससे भारत न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता वाले देशों के एक विशिष्ट क्लब का हिस्सा बन गया है।
 - न्यूक्लियर ट्रायड या परमाणु त्रय का मतलब है- जमीन, वायु और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता होना।
- INS अरिघात भारत की दूसरी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर (SSBN) पनडुब्बी है। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत है।



कोरगा जनजाति

केरल में कोरगा जनजाति को ऑपरेशन स्माइल प्रोजेक्ट के तहत भूमि का स्वामित्व दिया जाएगा।

कोरगा जनजाति के बारे में

- निवास क्षेत्र: यह जनजाति केरल के कासरगोड जिले और कर्नाटक में पाए जाने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है।
 - किसी जनजातीय समूह को PVTGs के रूप में मान्यता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। वर्तमान में देश में 75 PVTGs समुदाय हैं।
 - स्थिति/ दर्जा: राष्ट्रपति आदेश 1956 के तहत कोरगा जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।
 - पारंपरिक व्यवसाय: टोकरी बनाना।
 - भाषा: इस समुदाय के लोग तुलु भाषा बोलते हैं। हालाँकि, इनकी अपनी एक स्वतंत्र भाषा भी है।
- ऑपरेशन स्माइल के बारे में
- केरल सरकार की इस पहल का उद्देश्य बेघर लोगों का पुनर्वास और उनकी सहायता करना है।



जारवा जनजाति

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जारवा जनजाति को पहली बार मतदाता सूची में नामांकित किया गया है।

जारवा जनजाति के बारे में

- इस जनजाति की अनुमानित आबादी 341 है। यह दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर निवास करती है।
- व्यवसाय: ये शिकार और संग्रहण कर अपना जीवनयापन करते हैं।
- जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासियों में से एक है। अन्य मूल निवासी जनजातियों में ग्रेट अंडमानी, ऑंग, सेंटिनलीज, शोम्पेन, आदि शामिल हैं।



कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (Corporate Average Fuel Efficiency: CAFE) मानदंड

केंद्र सरकार कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) मानदंडों का उल्लंघन करने की वजह से कुछ कार विनिर्माताओं पर जुर्माना लगा सकती है।

CAFE मानदंडों के बारे में

- इन मानदंडों को पहली बार सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत 2017 में अधिसूचित किया था।
- उद्देश्य:
 - CO₂ उत्सर्जन को कम करके ईंधन की खपत को कम करना,
 - कच्चे तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना।
- CAFE मानदंड उत्सर्जन मानकों का एक समूह है जो एक वित्तीय वर्ष में किसी कार विनिर्माता के सभी वाहनों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) की मात्रा को निर्धारित करता है।
 - जैसे मारुति सुजुकी के सभी वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर 107.28 ग्राम CO₂ उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की गई थी।
- किन पर लागू है: पेट्रोल, डीजल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी से चलने वाले 3,500 किलोग्राम से कम सकल भार वाले वाहन।

सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



ज्योतिराव फुले (1827 - 1890)

28 नवंबर को ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि थी।

ज्योतिराव फुले के बारे में

- जन्म: सतारा (महाराष्ट्र)
- उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। उन्होंने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया।

प्रमुख योगदान

- अपनी धर्मपत्नी की मदद से ज्योतिराव फुले ने 1848 में पुणे में तात्यासाहेब भिडे के निवास स्थान पर लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया।
- जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
- पुस्तकें: गुलामगिरी; सार्वजनिक सत्यधर्म, आदि।
- मूल्य: समानता, करुणा, नेतृत्व, आदि।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची